राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर भीम, जिला राजसमंद

पीठासीन अधिकारीः– श्री विकास शर्मा आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 16/2024 राजस्व वाद

अनवान

गोविन्द सिंह पिता संग्राम सिंह जाति रावत आयु बालिग निवासी सदारण तहसील भीम जिला राजसमन्द

.... वादी

बनाम

01. दूद सिंह पिता धना सिंह
02. दौलत सिंह पिता जेतसिंह
03. नाथी देवी पत्नि रूप सिंह
04. नारायण सिंह पिता धना सिंह
05. मिठू सिंह पिता भंवर सिंह

समस्त जातियान रावत आयु बालिग निवासीयान् सदारण कुकरखेड़ा तहसील भीम जिला राजसमन्द।

06. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भीम

.... प्रतिवादीगण

उपस्थितिः–

01. वादी की ओर से अधिवक्ता श्री हितेष कुमार मेहता
02. अप्रार्थी की ओर से स्वयं

<u>राजस्व वाद अर्न्तगत धारा 53 व 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 वास्ते बंटवाडा हेतु</u>

निर्णय

दिनांकः– 18/8/25

01. उपरोक्त अनवान का वादपत्र अंतर्गत धारा 53, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 वादी द्वारा पेश कर निवेदन किया कि वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 05 की संयुक्त स्वामित्व, आधिपत्य एवं कब्जा काश्त में मौजा सदारण पटवार हल्का कुकरखेड़ा तहसील भीम के खाता संख्या 517 आराजी नम्बर 1300 कुल रकबा 0.7284 है0 किस्म बंझड़ भूमि आई हुई है। जिस पर वादी व प्रतिवादीगण वाहमी मौखिक बंटवाड़ा कर हक हिस्से अनुसार मालिक होकर अपने–अपने हिस्से की भूमि का उपयोग–उपभोग करते चले आ रहे है। उक्त वर्णित आराजियात में वादी का 1/12 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 का 11/12 हिस्सा होकर दर्ज रिकॉर्ड है। वादी अपने हिस्से को उन्नत एवं विकसित करना चाहता है तथा कृषि हेतु उपजाऊ करवाना चाहता है तथा अपने हिस्से पर सिंचाई हेतु कुंआ खुदवाना चाहता है परन्तु राजस्व रिकॉर्ड में बंटवाड़ा नहीं होने के

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भीम

कारण हर समय विवाद की स्थिति बनी रहती है तथा वादी अपने हिस्से को उन्नत व विकसित भी नहीं करवा पा रहा है। वादी खातेदार काश्तकार होने के नाते मौके पर कब्जा काश्त अनुसार रिकॉर्ड व बंटवारा करवाना चाहता है जिससे विवाद की स्थिति नहीं बने। प्रतिवादीगण सहमति से बंटवारा करवाने हेतु तैयार नहीं होने पर वाद पत्र श्रीमान के न्यायालय में पेश किया जा रहा है अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हक हिस्से अनुसार मौके पर कब्जा काश्त अनुसार वादी का हिस्सा पृथक किया जाकर वादी के नाम अलग खाता खोलकर वादी को अपने हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादीगण को वादी के कब्जे काश्त मे किसी प्रकार की दखलअदाजी करने से रोका जावे।

02. वाद पत्र को बाद जांच दिनांक 05.03.2024 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगणों को जरिये सम्मन तलब किया गया जिस पर प्रतिवादी संख्या 3 दिनांक 06.06.2024 को स्वयं उपस्थित हुआ तथा दिनांक 25.06.2024 को प्रतिवादी संख्या 02 ने भी उपस्थित होकर हक हिस्से अनुसार बंटवाड़ करने पर सहमति जाहिर की। प्रतिवादी संख्या 01, 04, 05 ने बाद सम्मन तामील भी उपस्थित नहीं होकर कोई जवाब पेश नहीं करने पर प्रतिवादी संख्या 01, 04, 05 के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर जवाब बंद किया गया। वादी के वाद पत्र का खण्डन नहीं होने पर तथा प्रतिवादी संख्या 02 व 03 की सहमति पर वाद पत्र में चाहे गए अनुतोष को ही तनकियात माना जाकर वादी द्वारा साक्ष्य नहीं करवाने पर पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 29.07.2024 को मुकर्रर की गई।

03. दिनांक 29.07.2025 को वादी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वादी ने वाद पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए हक हिस्से अनुसार मौके पर कब्जे काश्त अनुसार तथा **By Meats And Bounds** बंटवाड़ कर पृथक से खाता खोला जाकर वादी को पृथक हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें तथा प्रतिवादीगण को वादी के कब्जे काश्त में दखलअंदाजी पैदा नहीं करने हेतु पाबंद किया जावें। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन, अवलोकन किया गया। वाद पत्र, प्रतिवादी संख्या 02 व 03 की सहमति व सुसंगत कानूनी प्रावधानों का अध्ययन, अवलोकन किया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 व 88 का अध्ययन, अवलोकन किया। वादी के वाद पत्र का खण्डन नहीं होने तथा प्रतिवादी संख्या 02 व 03 की सहमति पर वाद पत्र में चाहे गए अनुतोष को प्राप्त करने का वादी अधिकारी है। अतः प्रथम दृष्टया वादी का वाद पत्र काबिल स्वीकार होने से स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिक्री वास्ते बंटवाड़ प्रस्ताव जारी किया जाना उचित प्रतीत होता है।

04. प्राथमिक डिक्री वास्ते बंटवाड़ प्रस्ताव जारी किया जाकर तहसीलदार भीम से बंटवाड प्रस्ताव चाहा गया जिस पर तहसीलदार भीम के पत्रांक भू.अ./2025/18/2088 दिनांक 11.06.2025 द्वारा बंटवाड़ प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेस व हक हिस्से अनुसार विभाजन प्रस्ताव, जमाबंदी की प्रतियां पेश की गई जिसे शामिल पत्रावली किया जाकर पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 03.07.2025 को मुकर्रर की गई। दिनांक 03.07.2025 को वादी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वादी ने तहसीलदार भीम द्वारा पेश बंटवाड़ प्रस्ताव को उचित माना जाकर बंटवाड़ प्रस्ताव के अनुसार वादग्रस्त आराजियात का विभाजन किया जाकर वादी का पृथक से खाता खोलकर राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद किये जाने हेतु तहसीलदार भीम को निर्देशित करने का निवेदन किया। हमने तहसीलदार भीम द्वारा पेश बंटवाड़ प्रस्ताव का भली-भांति अवलोकन किया। तहसीलदार भीम द्वारा पेश बंटवाड़ प्रस्ताव, मौके पर कब्जाकाश्त हक-हिस्से अनुसार व **By Meats And Bounds** से होने तथा वादी द्वारा बंटवाड़ प्रस्ताव पर सहमति जाहिर करने से अंतिम डिक्री जारी किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वादग्रस्त आराजियात खाता संख्या 517 आराजी

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भीम
राजसमन्द

नम्बर 1300 कुल रकबा 0.7284 है0 किस्म बंझड का बंटवाड तहसीलदार भीम द्वारा पेश बंटवाड़ प्रस्ताव के पैरा संख्या 03 के अनुसार निम्न प्रकार से किया जाता है।

वर्तमान इन्द्राज								प्रस्तावित इन्द्राज					
खाता संख्या	खातेदार का नाम	आ.न.	रकबा	किस्म	लगान	क्र सं.	खाता संख्या	खातेदार का नाम	आ.न.	रकबा	किस्म	लगान	रंग
517	1. गोविन्द सिह पुत्र संग्राम सिंह हिस्सा 1/12 2. दूद सिंह पुत्र धन्ना सिंह हिस्सा 1/12 3. दौलत सिंह पुत्र जेत सिंह हिस्सा 1/4 4. नाथी देवी पत्नि रूप सिह हिस्सा 1/4 5. नारायण सिंह पुत्र धन्ना सिंह रावत हिस्सा 1/4 6. मिठू सिंह पुत्र भंवर सिंह हिस्सा 1/12	1300	0. 7284 है0	बंझड़	1.57	1	517/1	गोविन्द सिह पुत्र संग्राम सिंह हिस्सा सम्पूर्ण	1300/1	0 0607 है0	बंझड	0.13	गुलाबी
		कुल 1	0. 7284 है0		1.57				कुल 1	0 0607 है0		0.13	
							517	1. दूद सिह पुत्र धन्ना सिह 1/11 2. दौलत सिंह पुत्र जेत सिंह 3/11 3. नाथी देवी पत्नि रूप सिंह 3/11 4. नारायण सिंह पुत्र धन्ना सिंह 3/11 5. मिठू सिंह पुत्र भंवर सिंह 1/11	1300	0. 6677 है0	बंझड	1.44	हरा
									कुल 1	0 6677 है0		1.44	

उक्तानुसार वादग्रस्त आराजियात का बंटवाड़ किया जाकर पृथक से खाता खोला जाना उचित है।

आदेश

उपरोक्त विवेचना अनुसार एतदद्वारा आदेशित किया जाता है कि मौजा सदारण पटवार हल्का कुकरखेड़ा तहसील भीम जिला राजसमंद के खाता संख्या 517 आराजी नम्बर 1300 कुल रकबा 0.7284 है0 किस्म बंझड भूमि का बंटवाड़ तहसीलदार भीम द्वारा पेश मौका रिपोर्ट के पैरा संख्या 03 के अनुसार किया जाकर वादी को अपने हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रतिवादीगण वादी के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखलअंदाजी ना तो स्वयं पैदा करें ना किसी अन्य से करवाए। इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है। तहसीलदार भीम उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद कर पृथक खाते खोलकर पालना से अवगत करावें। तहसीलदार भीम को पालना हेतु पृथक से तहरीर जारी हो। तहसीलदार भीम द्वारा पेश मौका रिपोर्ट/बंटवाड़ प्रस्ताव इस निर्णय का अभिन्न अंग रहेंगा। पक्षकारान् खर्चा अपना–अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 18/8/25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(हस्ताक्षर)
सहायक कलेक्टर
उपखण्ड अधिकारी, भीम
जिला - राजसमन्द

अंतिम डिकी बुमकदमें इब्तदाई

(ऑ. 21 रूल 6.7 जाब्ता दिवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर बमुकाम भीम

बईजलास– श्री विकास शर्मा आर.ए.एस.

ादीगणः–	बनाम	प्रतिवादीगण :–
ोविन्द सिंह पिता संग्राम सिंह जाति रावत आयु बालिग नेवासी सदारण तहसील भीम जेला राजसमन्द		01. दूद सिंह पिता धना सिंह 02. दौलत सिंह पिता जेतसिंह 03. नाथी देवी पत्नि रूप सिंह 04. नारायण सिंह पिता धना सिंह 05. मिठू सिंह पिता भंवर सिंह समस्त जातियान रावत आयु बालिग निवासीयान् सदारण कुकरखेड़ा तहसील भीम जिला राजसमन्द। 06. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भीम

दावा बाबत विभाजन अन्तर्गत धारा 53, 88 आर.टी.एक्ट. 1955

मुकदमा नम्बर 16/2024 राजस्व वाद

यह आज मुकदमा वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी वादी अधिवक्ता एवं धिवक्ता मिनजानिब मुद्दायलास को डिकी दी जाती है कि वाद पत्र के बिन्दु संख्या 01 में र्णित तहसील भीम मौजा सदारण पटवार हल्का कुकरखेड़ा तहसील भीम जिला राजसमंद के ाता संख्या 517 आराजी नम्बर 1300 कुल रकबा 0.7284 है0 किस्म बंझड भूमि का बंटवाड़ हसीलदार भीम द्वारा पेश मौका रिपोर्ट के पैरा संख्या 03 के अनुसार किया जाकर वादी को नने हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रतिवादीगण वादी के कब्जा काश्त किसी प्रकार की दखलअंदाजी ना तो स्वयं पैदा करें ना किसी अन्य से करवाए। इस आशय स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है। तहसीलदार भीम उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में मलदरामद कर पृथक खाते खोलकर पालना से अवगत करावें।

सीब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 18/8/25 को जारी की गई।

सहायक कलक्टर
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भीम
जिला-राजसमन्द

वाद के खर्चे

वादी			प्रतिवादी
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शो के लिए स्टाम्प 4. ....रूपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल	रूपया	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय आदेशिका की तामिल कमिश्नर की फीस	रूपया
जोड		जोड	

सहायक कलेक्टर
उपखण्ड अधिकारी, भीम
जिला-राजसमन्द